रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2019/अग्रहायण 28, 1941
No. 478] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2019/AGRAHAYANA 28, 1941

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2019

सं.1/एनएससी/2019-भाग-1.—देश की सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने के लिए डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में जनवरी, 2000 में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने देश के समस्त कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों के लिए एक नोडल एवं शक्तिसंपन्न निकाय के रूप में कार्य करने, सांख्यिकीय प्राथमिकताओं एवं मानकों को विकसित, प्रबोधित एवं लागु करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करते हेतु एक सांविधानिक राष्ट्रीय आयोग के गठन की सिफारिश की । रंगराजन समिति ने यह भी सिफारिश की कि आयोग को शुरू में थोड़े से अधिकार के साथ गठित किया जाए ताकि जब यह कार्य करना शुरू करे तो इसकी उभरती जरूरतों तथा मूल वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जा सके । **अब रंगराजन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप और समस्त मौजूदा अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए,** प्रारंभ में, सरकारी संकल्प के माध्यम से आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है । आशा है कि एक वर्ष की अवधि के भीतर सांविधिक आयोग का गठन कर लिया जाएगा ।

2. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे–

(क) एक अंशकालिक अध्यक्ष, जो एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् अथवा समाजशात्री हो/रहा हो, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जायेगा;

(ख) चार अंशकालिक सदस्य, निम्नलिखित क्षेत्रों से एक-एक, जिसे भारत सरकार द्वारा नामित किया जायेगा तथा जिन्हें निम्नलिखित में विशेषज्ञता तथा अनुभव हासिल हो -

(i) कृषि, उद्योग, बुनियादी सुविधा, व्यापार अथवा वित्त जैसे क्षेत्रों मे आर्थिक सांख्यिकी,

(ii) जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और रोजगार या पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी,

(iii) गणना, सर्वेक्षण, सांख्यिकीय सूचना प्रणाली या सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे क्षेत्रों में सांख्यिकीय प्रचालन, और

(iv) राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकीय मॉडलिंग या राज्य सांख्यिकीय प्रणाली।

(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) पदेन सदस्य के रूप में।

(घ) सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के कार्यभार ग्रहण करने तक आयोग के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में सृजित किया गया है जो सांविधिक आयोग का सचिव होगा।

3. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव (भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्) का चयन भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर विधिवत गठित एक सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

4. सर्च कमेटी अध्यक्ष के चयन के लिए भारत सरकार को तीन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश करेगी और उनमें से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। सर्च कमेटी 2 (ख) और 2 (घ) की प्रत्येक श्रेणी में से दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश भी करेगी, जिन्हें क्रमशः सदस्य और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में नियुक्त किया जाएगा और भारत सरकार आयोग के सदस्य के रूप में 2 (ख) के तहत प्रत्येक श्रेणी में से एक सदस्य को नामांकित करेगी और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् को नियुक्त करेगी।

5. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। अध्यक्ष का दर्जा राज्य मंत्री के बराबर का तथा सदस्य भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होंगे।

6. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग निम्नलिखित कार्य का निष्पादन करेगा:

(क) कोर सांख्यिकी की पहचान करना जो राष्ट्रीय महत्व की है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है;

(ख) विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर आयोग की सहायता करने के लिए व्यावसायिक समितियों या कार्य समूहों का गठन करना;

(ग) सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं को विकसित करना;

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों तथा रीतिविधानों को विकसित करना और कोर सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक तैयार करना;

(ङ) विभिन्न आंकड़ा सेटों के लिए रिलीज़ कैलेंडर सहित कोर सांख्यिकी के संग्रहण, सारणीयन और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ तैयार करना;

(च) सांख्यिकीय प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आवश्यकताओं सहित सरकारी सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ विकसित करना;

(छ) सरकारी सांख्यिकी में जन विश्वास सुधारने हेतु उपाय विकसित करना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्र के सुदृढ़ीकरण सहित सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु उपाय निकालना;

(झ) मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करना;

(ञ) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय कार्यकलापों पर सांख्यिकीय लेखा परीक्षा करना;

(ट) केंद्र सरकार अथवा कोई राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को (ग) से (ज) तक के खण्डों के अंतर्गत तैयार किए गए मानकों, रणनीतियों तथा अन्य उपायों आदि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाना;

(ठ) सरकार को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग हेतु संविधि सहित सांख्यिकीय मुद्दों पर विधायी उपायों की आवश्यकता संबंधी सलाह देना;

(ध) तैयार की गई नीतियों, मानकों तथा रीतिविधानों के मद्देनजर सांख्यिकीय प्रणाली के कार्यों का प्रबोधन तथा समीक्षा करना और निष्पादन वृद्धि हेतु उपायों की सिफारिश करना ।

7. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना के साथ-साथ केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का एकल सत्ता में विलय हो जाएगा जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) कहा जायेगा जो सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत सरकार के कार्यकारी स्कंध के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा तैयार की गई नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करेगा । राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव की रैंक का एक अधिकारी होगा, जिसे भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में पदनामित किया जाएगा और वह आयोग के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा। वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के कार्यों का निर्वहन करेंगे।

8. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सेवार्थ एक सचिवालय होगा जिसका अध्यक्ष आयोग का सचिव होगा जिसकी सहायता हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में भारतीय सांख्यिकी सेवा का एक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होंगे ।

9. आयोग के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग और कुशलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु अपेक्षित स्वायत्तता होगी । विशेष रूप से, आयोग के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:

(क) आयोग कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जो आयोग की नजर में सांख्यिकी उद्देश्यों को पूरा करेगा या कर सकता है,

(ख) 'कोर सांख्यिकी के संदर्भ में, आयोग सांख्यिकी एजेंसियों और संस्थानों से सांख्यिकी गतिविधियों जिसमें प्रयुक्त अवधारणाओं तथा परिभाषाएं, अपनाई गई कार्यप्रणालियां, अपनाए गए गुणवत्ता मानकों, सैंपलिंग तथा गैर-सैंपलिंग त्रुटियां इत्यादि शामिल है,

(ग) कोर सांख्यिकी से जुड़े मामलो पर किसी लोक सेवक सहित किसी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश देना,

(घ) साक्ष्यों अथवा दस्तावेजों अथवा कोर सांख्यिकी से सम्बद्ध किसी मामले की जाँच हेतु नोटिस जारी करना ।

10. आयोग के पास अपने संक्षिप्त तथा विस्तृत अवधि के कार्यक्रम तैयार करने का अधिकार भी होगा ।

11. वित्त वर्ष के दौरान अपने कार्य कलापों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केंद्र सरकार को भेजेगा । केंद्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ उसमें की गई संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई और ऐसी संस्तुतियों को स्वीकृत न किए जाने के कारणों पर एक ज्ञापन संसद के दोनों सदनों को प्रस्तुत करेगी । जहां कोई संस्तुति अथवा कोई भी भाग किसी राज्य सरकार से संबंधित होगा, तो आयोग ऐसी संस्तुति और उक्त भाग को राज्य सरकारों को अग्रेषित करेगा जो राज्य संबंधी संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई और ऐसी संस्तुतियों को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हो, को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन सहित उक्त भाग को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

12. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय, जिसमें वेतन एवं मजदूरी, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, भवन किराए पर लेना, व्यावसायिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएँ तथा आयोग की प्रतिदिन की प्रशासनिक जरूरतें शामिल है, को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मांग द्वारा पूरा किया जाएगा तथा यह संसद द्वारा 'स्वीकृत' किया जाएगा ।

अनुजा बापट, उप महानिदेशक, एनएससीएस

[विज्ञापन-III/4/असा./365/19]

टिप्पणी: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना मूल रूप से दिनांक 1 जून 2005 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- III खंड 4 अधिसूचना सं. 85 के रूप में प्रकाशित संकल्प संख्या ए-11011/1/2005-प्रशा.-I द्वारा की गई थी । जिसे बाद में भारत के राजपत्र साप्ताहिक (9-15 मई 2015) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 19 तथा दिनांक 04 सितंबर 2018 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1-खंड-1 में प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना संख्या 299 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

RESOLUTION

New Delhi, the 5th November, 2019

No.1/NSC/2019-Part-1.- The National Statistical Commission set up by the Government in January, 2000 under the chairmanship of Dr. C. Rangarajan to review the statistical system of the country recommended the establishment of a Statutory National Commission on Statistics to serve as a nodal and empowered body for all core statistical activities of the country, to evolve, monitor and enforce statistical priorities and standards and to ensure statistical co-ordination. The Rangarajan Commission also recommended that the Commission be set up initially through a Government order with a modicum of authority so as to evolve the legislation taking into account the ground realities and the emerging requirements when it starts to function. **Now in the line of the Recommendations of Rangrajan Commission and in supersession of all existing Notifications**, it has been decided to set up the Commission initially through a government Resolution. It is expected that the statutory Commission would be set up within a period of one year.

2. The National Statistical Commission will consist of -

(a) a part-time Chairperson who is, or has been, an eminent statistician or social scientist to be nominated by the Government of India;

(b) four part-time Members, one each from the following fields, to be nominated by the Government of India, from amongst the persons having specialization and experience in –

(i) economic statistics in such areas as agriculture, industry, infrastructure, trade or finance,
(ii) social and environment statistics in such areas as population, health, education, labour and employment or environment,
(iii) statistical operations in such areas as censuses, surveys, statistical information system or information technology, and
(iv) national accounts, statistical modeling or State Statistical Systems

(c) The Chief Executive Officer, NITI Aayog (National Institution for Transforming India) as *ex officio* Member.

(d) The Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation will function as *ex-officio* Member Secretary of the Commission till the Chief Statistician of India assumes office. The Chief Statistician of India, the post created specifically as the head of the National Statistical Office, will be the Secretary of the Statutory Commission.

3. The Chairman, Members and Secretary of the National Statistical Commission (Chief Statistician of India) will be selected on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted by the Government of India from time to time for the purpose.

4. The Search Committee shall recommend names of three persons to the Government of India for selection as chairperson and one of them would be nominated as the chairperson. The Search Committee shall also recommend names of two persons from each of the categories in 2(b) and 2(d) eligible to be appointed as Members and Chief Statistician of India respectively, and the Government of India shall nominate one member from each of the categories under 2(b) as Members of the Commission and appoint the Chief Statistician of India.

5. The tenure of the Chairperson and the Members shall be three years. The status of the Chairperson would be that of a Minister of State and the Members would be equivalent to Secretary to the Government of India.

6. The National Statistical Commission will perform the following functions:

(a) to identify the core statistics, which are of national importance and are critical to the development of the economy;

(b) to constitute professional committees or working groups to assist the Commission on various technical issues;

(c) to evolvenational policies and priorities relating to the statistical system;

(d) to evolve standard statistical concepts, definitions, classifications and methodologies in different areas in statistics and lay downnational quality standards on core statistics;

(e) to evolve national strategies for the collection, tabulation and dissemination of core statistics, including the release calendar for various data sets;

(f) to evolve national strategies for human resource development on official statistics including information technology and communication needs of the statistical system;

(g) to evolve measures for improving public trust in official statistics;

(h) to evolve measures for effective co-ordination with State Governments and Union Territory Administrations on statistical activities including strengthening of existing institutional mechanisms;

(i) to exercise statistical co-ordination between Ministries, Departments and other agencies of the Central Government;

(j) to exercise statistical audit over the statistical activities to ensure quality and integrity of the statistical products

(k) to recommend to the Central Government, or anyState Government, as the case may be, measures to effectively implement the standards, strategies and other measures evolved under clauses (c) to (h)

(l) to advise the Government on the requirement of legislative measures on statistical matters including the statute for the National Statistical Commission.

(m) to monitor and review the functioning of the statistical system in the light of the laid down policies, standards and methodologies andrecommend measures for enhanced performance.

7. Along with the establishment of the National Statistical Commission, the Central Statistical Organisation (CSO) and the National Sample Survey Organisation (NSSO) will be merged into a single entity called the National Statistical Organisation (NSO), which will function as the executive wing of the Government of India in the field of statistics and act according to the policies and priorities as laid down by the NSC. The NSO would be headed by an Officer of the rank of Secretary to the Government of India, who will be designated as the Chief Statistician of India and he will also function as the Secretary of the Commission. He will discharge the functions of Secretary of the Government of India in theMinistry of Statistics and Programme Implementation.

8. The National Statistical Commission will be serviced by a Secretariat headed by Secretary of the Commission who will be supported by an officer of the Indian Statistical Service in the Senior Administrative Grade and other officials.

9. The Commission will have the requisite autonomy to discharge its functions effectively and efficiently. In particular, the Commission will have powers to:

(a) require production of any document which in the opinion of the Commission will serve or may serve statistical purposes,

(b) require statistical agencies and institutions to provide details of statistical activities, including concepts and definitions used, methodologies followed, quality standards adopted, sampling and non-sampling errors, etc. in respect of 'core statistics', and

(c) require attendance of any person including any public servant on matters connected with core statistics

(d) issuing notices for the examination of witnesses and documents or any matters connected with core statistics

10. The Commission will also have authority to formulate its short and long term programmes.

11. The Commission shall prepare, for each financial year, its Annual Report, giving a full account of its activities during the financial year and forward the same to the Central Government. The Central Government shall cause to be

laid the Annual Report together with a memorandum of action taken on the recommendations therein, along with the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations before each House of Parliament. Where any recommendation or any part thereof concerns any State Government, the Commission shall forward a copy of such recommendation or part thereof to such State Governments which shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken on the recommendations relating to the State and reasons for the non-acceptance if any, of any such recommendations.

12. The annual expenditure on account of the establishment of the National Statistical Commission including salary and wages, domestic travel, office expenses, hiring of accommodation, professional services, administrative services and requirements for day to day administration of the Commission will be met from a demand under the Ministry of Statistics and Programme Implementation and will be 'voted' by the Parliament.

ANUJABAPAT, Dy. Director General, NSCS

[ADVT.-III/4/Exty./365/19]

Note: The National Statistical Commission was originally set up by Government Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I, published as Notification No. 85 on 1st June 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III Section 4 which was later amended by Government of India Notification No. 19 published in the Gazette of India Weekly (9-15 May 2015) and Govt. of India Notification No 299 dated 04th September 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1-Section-1.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.23 18:52:54 +05'30'